सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 233 राँची, मंगलवार, 19 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

29 जनवरी, 2024

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत्गर्भवती महिलाओं को मातृ किट्वितरणयोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

ज्ञापांक-05/म.स./रा.यो.-मातृ किट्-237/2023-240--किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं इनमें एतद्संबंधी अच्छी आदतें प्रबुद्ध करने सहित महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामाजिक रिवाज प्रवृत्त करने ताकि किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण कर उनका कल्याण एवं सशक्ती करण सुनिश्चित किया जा सके, के उद्येश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है ।

2. इसके तहत् आँगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विभिन्न सामग्रियों के पैकेज रूपी मातृ किट्उपलब्ध कराना सन्निहित है ।

3. विभागीय अपर सचिव की अध्यक्षता में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहे पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर गर्भवती महिलाओं, जच्चा-बच्चा एवं किशोरियों की स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छतापूर्ण जीवन-शैली हेतु आवश्यकताओं के संदर्भ में एक प्रतिवेदन प्राप्त की गई । समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विमर्श कर गोदभराई उत्सव का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं को मातृ किट्वितरितकरने की अनुशंसा की गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं तथा जन्म लेने वाले बच्चों के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुनिश्चित करने वाले सामग्रियाँ सन्निहित हैं।

उपर्युक्त अनुशंसा तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संस्थागत प्रसव उपरांत केवल बालिका शिशु के जन्म पर वितरण किये जाने वाले बेबी केयर किट्योजना का विभाग स्तर पर समीक्षा की गई एवं उक्त उपरांत मातृ किट्वितरणयोजना के कार्यान्वयन का प्रारूपण किया गया। प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारणकाल में मातृ किट्का वितरणसन्निहित है जिससे बालिका अथवा बालकशिशु दोनों शिशु लाभान्वित हो सकेंगे।

4. सम्यक्विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत्गर्भवती महिलाओं को मातृ किट्वितरणयोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना निम्नवत्कार्यान्वित की जायेगी:-

i. महिलाओं के गर्भधारण काल में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दो ऐसे पहलू हैं जिसका विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है । गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतों को बढावा देने हेतु महिलाओं को उनके गर्भधारण काल में मातृ कि ट्का वितरण किया जायेगा । महिलाओं को मातृ किट् उनके प्रथम दो गर्भधारण पर वितरित किया जायेगा तथापि दो से अधिक बच्चों वाले लाभार्थी को इस किट्का वितरण नहीं किया जायेगा।

ii. आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिपक्ष आयोजित होनेवाले समुदाय आधारित कार्यक्रम में गोदभराई कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इन महिलाओं को मातृ किट्वितरित किया जायेगा।लाभार्थियों के मध्य इनकिट्स का वितरण जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने का प्रयास किया जायेगा।

iii. उपर्युक्त मातृ किट्मेंसामग्रियाँ निम्नवत्सन्निहित होंगे:-

Sl.	Items	No. of Items
1.	Anti Mosquito Net	01 Piece
2.	Cotton Saree with Blouse & Petticoat	01 set
3.	Bedsheet with one pillow cover	01 Piece
4.	Cotton Towel	01 Piece
5.	Tooth Paste	01 Tube

6.	Tooth Brush & Toung Cleaner	01 Piece each
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	01 Piece each
8.	Coconut oil	01 Bottle/Unit
9.	Plastic Comb	01 Piece
10.	Nail Cutter	01 Piece
11.	Bathing soap bar	01 Piece
12.	Washing Powder	01 Packet/Unit
13.	Cotton Roll	01 Piece
14.	Kit Bag	01 Piece

iv. उपर्युक्त सामग्रियों के न्यूनतम गुणधर्मविशिष्टतया निम्नवत् होंगे-

<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Items</th><th colspan="2">Minimum Specification</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Anti Mosquito Net</td><td colspan="2">White in color, Made of Nylon, 6.5 ft.*4 ft.*4.5 ft. (L*B*H) in Dimension, Flame retardant, Bordered at bottom.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.</td><td rowspan="4">Cotton Saree with Blouse</td><td>Dimensions</td><td>Saree- 5.40*1.15 meter (excluding Blouse piece) with border length 5.40 meter. Pallu length- 68 cm.</td></tr>
<tr><td></td><td>Blouse Piece-0.90*1.15 meter,</td></tr>
<tr><td></td><td>Petticoat- 38 inch in Length +2 inch folding in lower side ; 36 inch of waist size with fasten fabric belt and 72 inch in size for lower peripheral.</td></tr>
<tr><td>Fabric</td><td>Cotton</td></tr>
<tr><td></td><td>Color</td><td>Multi color (color of blouse & petticoat is matching with base color of saree)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bedsheet with one pillow cover</td><td colspan="2">Bedsheet- Printed, Plain weaved, Cotton, weight of 145gm per sq.m, 2.75m * 1.50m in Dimension.

Pillow Cover- Quality Matching with Bedsheet, 0.75m*0.50m in dimension.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Cotton Towel</td><td colspan="2">Cotton, 1.50m * 0.75m in Dimension, colored.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Tooth Paste</td><td colspan="2">100gm in weight.</td></tr>
</table>

6.	Tooth Brush & Toung Cleaner	**Tooth Brush**- Adult size (150), super soft type, of 300 filaments. **Toung Cleaner**- of stainless steel, flexible, curved shape.
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	**Plastic Bucket**- Bucket with Lid & handle, made of Colored/Natural HDPE with HDPE grade 45 MA, made of Food Grade material, 1400gm in wight in total, 40L in capacity, round cylinder viewing from top. **Plastic Mug**- made of Colored/Natural HDPE, made of Food Grade material, 75-100 gm in weight, 1000ml in capacity, round cylinder.
8.	Coconut oil	200 mL in volume, Pure edible grade, 100% coconut oil, consistent composition & viscosity, packed in food grade container.
9.	Plastic Comb	Made of plastic, 40gm in weight, 20cm*5cm in dimension, Large size, Fine teeth type.
10.	Nail Cutter	Of stainless steel, 40-50 gm in weight, 8 cm in dimension, Curved blades for versatility, Sharp cutting edges, Fish scales patterns File nail smooth and glossy, Nail Clippers handle non-slip.
11.	Bathing soap bar	100 gm in weight, For all type of skin, Conforming to Indian Standard IS 13498-Latest, Having fragnance, well packed.
12.	Washing Powder 1 Kg	1 kg in weight, Of IS 4955 : latest, well packed.
13.	Cotton Roll	100 gm in weight, having drug license, 12 mm in thickness & 38 mm in width.
14.	Kit bag	with zip closure, 20 inch*14 inch*6 inch in dimension, of saft rexine with matte finish, 0.45 mm rexine thickness, Handle strap of rexine attached. Pink in color.

(अभियुक्ति:- *GeM* पर प्रदर्शित इन सामग्रियों के मुख्य विशिष्टत या आधारित)

प्राप्ति हेतु उक्त न्युनतम गुणवत्ता के अतिर के आवश्यक तकनिकी गुणवत्ता का निर्धारण क्रेता द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत्किया जा सकेगा।

v. सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी का स्वंय/जिन पर वे आश्रित हैं, का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत नहीं होना अथवा इन नियोजन कर्त्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा । इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणपत्र लाभ प्रदान करने वाले आँगनबाड़ी केन्द्र को समर्पित किया जायेगा।

vi. एतद्संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने वाले महिलाओं का पंजीकरण वैध अभिलेखों (UIDAI-आधार को प्राथमिकता) के अधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । पंजीकरण के क्रम में अभिलेख की प्रतिलाभार्थी से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्र में संधारित की जायेगी।

vii. आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा एतद्सामग्रियों के वितरण के संदर्भ में स्टॉक पंजी, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या एवं उन्हें प्रदाय सामग्री संबंधी विस्तृत विवरणी प्रदर्शित करती पंजी अद्यतन रखी जायेगी।

viii. एतद्क्रय एवं आपूर्ति प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया नियमन के अनुपालन में पारदर्शी तरीके से किया जायेगा।यद्यपि अंतिम दर एत द्क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत्न्यूनतम निविदा दर पर अधारित होगा।

क्रय एवं आपूर्ति संबंधी कार्रवाई सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्रय प्लेट फॉर्म पर खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित मापदंडों के अनुपालन में सम्पादित कराई जायेगी।

5. योजना का Third Party Inspection/Evaluation एवं तत् आलोक मे आवश्यक कार्रवाई निम्न कार्ययोजना के अनुरूप की जायेगी:-

i. योजना कार्यान्वयन के तहत्लाभूकों के मध्य मातृ किट्वितरणप्रारंभ होने के एक वर्ष के उपरांत Third Party Inspection/Evaluation कराई जायेगी।

ii. उपर्युक्त हेतु संस्था (ओं) का चयन निविदा के माध्यम से तत्समय प्रवृत्त राज्यादेशों/नियमों के दृष्टिगत्किया जायेगा।

iii. एतद् Inspection/Evaluation एवं तत्के Outcome/Feedback प्रतिवेदनपूर्ण कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराने इत्यादि संबंधी कर्रवाई Inspection/Evaluation संबंधी आदेश निर्गमण की तिथि के अधिकतम छह माह में सम्पादित करा ली जायेगी।

iv. उपर्युक्त निमित्त निविदा आधारित न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर आकलित व्यय के आलोक में प्रशासी विभाग योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय अधीन समुचित बजटीय उपबंध प्राप्त कर व्यय करायेगा।

v. Third Party Inspection/Evaluation उपरांत प्राप्त Outcome/Feedback के आधार पर गर्भवती महिलाओं को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से स-समय समुचित निर्णय लेते योजना कार्यान्वयन करायेगा।

vi. एतद् Inspection/Evaluation के Outcome/Feedback/Data etc.पर पूर्णतः प्रशासी विभाग का सत्वाधिकार होगा।

6. उपर्युक्त मातृ किट्के सामग्रियाँ के क्रय एवं आपूर्ति पर प्रतिकिट्निम्नवत्व्यय अनुमानित है तथापि अंतिम दर एत द्क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत्न्यूनतम निविदा दर पर अधारित होगाः-

Sl.	Items (for above mentioned quantity)	Tentative Cost (In Rs.)
1.	Anti Mosquito Net	250
2.	Cotton Saree with Blouse	500
3.	Bedsheet with one pillow cover	200
4.	Cotton Towel	50
5.	Tooth Paste	30
6.	Tooth Brush & Toung Cleaner	20
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	150
8.	Coconut oil	70
9.	Plastic Comb	10
10.	Nail Cutter	20
11.	Bathing soap bar	20
12.	Washing Powder	50
13.	Cotton Roll	30
14.	Kit bag	100
Total		**1500**

7. लाभार्थियों को मातृ किट् उपलब्ध कराने पर प्रतिलाभूक प्रतिकिट्ू-1500.00 का व्यय अनुमानित है। राज्यान्तर्गत 6.00 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करने के अनुमान के आधार पर योजना कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष रू०-9000.00 लाख का व्यय आकलित है IThird Party Inspection/Evaluation के उपरांत एतद्व्यय में वृद्धिसंभव है।

चालू वि०व०-2023-24 के अन्तिम तिमाही में योजना कार्यान्वयन अनुमानित है अतएव चालू वि०व०में रू०-2250.00 लाख का व्यय आकलित है।

8. वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत्राज्य मद में TSP अधीन रू०-3941.60 लाख एवं OSP अधीन रू०-3638.40 लाख अर्थात कुल रू०-7580.00 लाख बजट उपबंध प्राप्त है जिसके तहत्योजना कार्यान्वित कराई जायेगी।

9. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्यमद के निम्न शीर्ष:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BA-महिला एवं किशोरी कल्याण योजना;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-BA- महिला एवं किशोरी कल्याण योजना;

- के उपयुक्त शीर्षों/इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

10. एत द्संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

11. एतद्प र राज्य मंत्रिपरिषद्की दिनांक-24.01.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),
सरकार के प्रधान सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 233 - 50